न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 49/2021 बउनवानी टीकाराम बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर पुत्र श्री भोरया मीना निवासी श्यामपुरा हाल निवासी बापू नगर खेरदा, तह0 सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/98

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.7.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। लोक सूचना एवं उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत दिनांक 27.4.2021 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो अति0 जिला कलेक्टर स0मा0 के पत्रांक एफ.2(96)सूकाअ/2021/855 दिनांक 30.4.2021को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार एवं उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर को अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया:—

1. यह है कि दिनांक 28.3.2021 को हरिओम पुत्र टीकाराम मीना निवासी श्यामपुरा हाल निवासी बापूनगर खेरदा सवाईमाधोपुर का मर्ग रिपोर्ट संख्या 14/2021 दर्ज थाना मलारना डूँगर के मुताबिक हरिओम की मृत्यु सांड से रोहित के बयानो के आधार पर बता रखी है जिसमे अनुसंधान बाबूद्दीन पुलिस चौकी भाडौती द्वारा किया जा रहा है। उक्त मृग रिपोर्ट की नियमानुसार जॉच संबंधित क्षेत्राधिकार के उपखण्ड अधिकारी द्वारा की जाती है जिसके तहत उपखण्ड अधिकारी मलारना डूँगर की ओर से उक्त प्रकरण मे आज दिनांक तक मृतक हरिओम के परिजनो से पूछताछ करने से संबंधित उपखण्ड अधिकारी की ओर से किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार पिडित एवं प्रभावी मृतक पक्ष को बतौर साक्षी सबूत गवाह बयान आदि के लिए बुलवाने से संबंधित कोई इत्तला सूचना कार्यालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से पत्र व्यवहार नोटिस आदि जारी कियेा गया हो तो उससे संबंधित प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवायी जावे।
2. यह है कि उक्त दुर्घटना में मृतक हरिओम की मृत्यु पशु/सांड से हरिओम के साथ दुर्घटना में घायल व्यक्ति रोहित मीना के बयानो के आधार पर जो मृग रिपोर्ट दर्ज की गयी है उसके अनुसार मौके पर मृतक सांड का संबंधित पुलिस एवं श्रीमान उपखण्ड अधिकारी की ओर से आज दिनांक तक सांड का पोस्टमार्डम नही करवाने से संबंधित प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे।
3. यह है कि उक्त प्रकरण में मृग रिपोर्ट की जॉच नियमानुसार उक्त अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी के अधिकार क्षेत्र अुनसार जो स्वतंत्र निष्पक्ष कर जॉच कर नतीजा किस प्रकार का जारी किया गया है उसकी प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:42:36 IST
Reason: SelfAttested

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सू.का.अ./2021/2420 दिनांक 16.7.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.5.2021 को उपजिला कलेक्टर कार्यालय मे प्राप्त होने पर जरिये पत्रांक सू.का.अ./2021 दिनांक 2165 दिनांक 5.6.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। कि आप द्वारा चाही गयी सूचना से संबंधित मृग रिपोर्ट बाद जॉच थानाधिकारी मलारना डूँगर से उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के कार्यालय को प्राप्त नही हुई है । मृग रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाने बाबत सूचित कर दिया गया था। अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

अपीलान्ट द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलान्ट को उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर द्वारा अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः अपील मे दायर अंकित तथ्यों सबूतो बिन्दुओ आदि पर कानून के दायरे मे न्यायोचित कार्यवाही करने एवं उक्त मृग रिपोर्ट से संबंधित प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस के विरूद्व पृथक से कार्यवाही करने के आदेश फरमाये जावे।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 27.4.2021 में चाही गयी सूचना जो कि थाना मलारना डूँगर मे दर्ज मर्ग रिपोर्ट संख्या 14/2021 पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में है। जिसके संबंध मे उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार उक्त मृग रिपोर्ट संख्या 14/2021 थाना मलारना डूँगर से उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के कायालय मे प्राप्त नही होने के कारण कोई कार्यवाही नही की गयी है। जब मृग रिपोर्ट उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर के कार्यालय मे प्राप्त ही नही हुई है तो उक्त मृग रिपोर्ट के संबंध मे उपजिला कलेक्टर द्वारा कोई कार्यवाही भी नही की गयी है। ऐसी स्थिति मे उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर के कार्यालय द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध करवाया जाना भी सम्भव नही है। किन्तु न्यायाहित मे उपजिला कलेक्टर मलारना डूँगर को निर्देशित किया जाता है कि थानाधिकारी मलारना डूँगर से उक्त मृग रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति मंगवाई जाकर अपीलान्ट को भिजवायी जावे तथा थानाधिकारी मलारना डूँगर द्वारा विधिवत रूप से आपके कार्यालय में मृग रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने पर मृग रिपोर्ट पर विधिवत कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:42:36 IST
Reason: SelfAttested